न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

राजस्व वाद संख्या– 124/2019

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. शंकरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :–वादी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता।
प्रतिवादी सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :–

संक्षेप मं मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान का मूल निवासी है वादी का घर का नाम भवंरसिंह है जबकि स्कूल रेकर्ड व अन्य सरकारी रेकर्ड में वादी का नाम शंकरसिंह राजपुरोहित है वादी भंवरसिंह पुत्र श्री अमरसिंह व शंकरसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री अमरसिंह दोनो नामो से जाना व पहचाना जाता है भंवरसिंह व शंकरसिंह राजपुरोहित दोनो नाम वादी के ही है। तथा दोनो एक ही व्यक्ति है जिसकी ताइद में ग्राम पंचायत हरियाडा का प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न पेश है। ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में संयुक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1062 रकबा 5.0158 हैक्टयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 118 रकबा 2.5564 रकबा हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 32 रकबा 2.5726 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय कुल खसरे 3 कुल रकबा 10.1448 हैक्टयर संयुक्त खातेदारो की स्थित है। जिसमें भंवरसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपुरोहित लिखा हुआ है जिसके स्थान पर वादी स्कूल रेकर्ड व अन्य सरकारी रेकर्ड के अनुसार अपना नाम शंकर सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपुरोहित दर्ज करवाना चाहता है। वादी का नाम परिवार कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वोटर लिस्ट, भामाशाह कार्ड, बैक पास बुक [illegible] साईकिल आर.सी. उपरोक्त तमाम दस्तावेजों में वादी का नाम शंकरसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी हरियाडा दर्ज है। वादी ग्राम हरियाडा में स्थित अपनी संयुक्त खातंदारी की भूमि में अपना वास्तविक नाम शंकर सिंह राजपुरोहित दर्ज करवाना चाहता है चूकि वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:38 IST
Reason: SelfAttested

शंकरसिंह राजपुरोहित के स्थान पर वादी के घर का नाम भंवरसिंह दर्ज होने का पता अभी हाल ही लोन के लिये जमाबंदी नकले लेने पर पहली बार चला है।

अतः वाद–पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम हरियाडा भूमि खसरा नम्बर 1062 रकबा 5.0158 हैक्टयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 118 रकबा 2.5564 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 32 रकबा 2.5726 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय कुल खसरे 3 कुल रकबा 10.1448 हैक्टयर संयुक्त खातेदारी जिसमें भंवरसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपुरोहित के स्थान शंकर सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री अमरसिंह दर्ज करने की डिक्री जारी की जाकर वादी का नाम भंवरसिंह पुत्र श्री अमरसिंह के स्थान पर शंकरसिंह राजपुराहित पुत्र श्री अमरसिंह दर्ज किया जाने का आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के सम्मन बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी ने जवाब पेश किया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1062 रकबा 5.0158 है., ख.नं. 118 रकबा 2.5564 हैक्टयर, ख.नं. 32 रकबा 2.5726 है. ग्राम हरियाडा की राजस्व सीमा में आई हुई है। वादी का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में नाम भंवरसिंह पुत्र अमरसिंह दर्ज है जिसे वादी शंकरसिंह पुत्र अमरसिंह करवाना चाहता है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड, पेनकार्ड व भामाशाह कार्ड इत्यादि पेश कर अपना नाम शंकरसिंह होना बताया । पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में वादी के दो नाम भंवरसिंह व शंकरसिंह होना बताया। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी के खसरा नम्बर 1062 रकबा 5.0158 है., ख.नं. 118 रकबा 2.5564 हैक्टयर, ख.नं. 32 रकबा 2.5726 है. में अपना नाम भंवरसिंह पुत्र अमरसिंह के स्थान पर शंकरसिंह पुत्र अमरसिंह किये जाने ईस्तदुआ की है, जिसमें भूमिधारी की सहमति है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण [illegible] तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही। वादी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसकों रेकर्ड पर लिया गया। जिसका प्रतिवादी ने खंडन नहीं किया है। वादी के वाद पत्र के समर्थन में अर्जुनसिंह पुत्र अमरसिह, गोविन्दसिंह पुत्र अमरसिंह, भगवतीकंवर पुत्र अमरसिह, गणपतसिंह पुत्र अमरसिंह, सुरेशकंवर पुत्री अमरसिंह ने शपथपत्र पेश किया जिसमें सभी ने भंवरसिंह व शंकरसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:38 IST
Reason: SelfAttested

दोनो व्यक्ति को एक ही होना बताया गया। ग्राम पंचायत हरियाडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी भंवरसिंह व शंकरसिंह दोनो को ही व्यक्ति का होना बताया गया है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 राशनकार्ड की फोटोप्रति, प्रदर्श 2 आधार कार्ड की फोटोप्रति, प्रदर्श 3 पैनकार्ड की फोटोप्रति, प्रदर्श 4 भामाशाह कार्ड की फोटोप्रति, प्रदर्श 5 बैंक डायरी की फोटोप्रति, प्रदर्श 6 बाईक की आर.सी., प्रदर्श 6 जमाबंदी संवत् 2074–2077 की फोटोप्रति आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम शंकरसिंह पुत्र अमरसिंह दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी की खातेदारी भंवरसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम शंकरसिंह पुत्र अमरसिंह की घोषणा कराने का अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम हरियाडा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1062 रकबा 5.0158 हैक्टयर , खसरा नम्बर 118 रकबा 2.5564 हैक्टयर , खसरा नम्बर 32 रकबा 2.5726 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज भंवरसिंह पुत्र अमरसिंह राजपुरोहित के स्थान पर शंकरसिंह पुत्र अमरसिंह राजपुरोहित की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:38 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **भवानी सिंह, आर.ए.एस.**

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. शंकरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 124/2019

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम भावी (ज.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1062 रकबा 5.0158 हैक्टयर , खसरा नम्बर 118 रकबा 2.5564 हैक्टयर , खसरा नम्बर 32 रकबा 2.5726 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज भंवरसिंह पुत्र अमरसिंह राजपुरोहित के स्थान पर शंकरसिंह पुत्र अमरसिंह राजपुरोहित की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:38 IST
Reason: SelfAttested